

सेवा में,

ग्रामीण सेवा शिविर 2025

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय,

सिवाना जिला बालोतरा

विषय:- राजस्व रेकॉर्ड में दुरुस्ती के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन हैं कि ग्राम खैराडियाली की जमाबन्दी संवत् 2077 से 2080 के खाता संख्या 154 में मेरा/हमारा नाम शंकर सिंह पुत्र मिश्रा - जाति दरोडा दर्ज हैं जो अशुद्ध हैं, जिनके स्थान पर मेरा/हमारे शुद्ध नाम शंकर सिंह पुत्र मिश्री सिंह रावण/राजपुत्र हैं।
 अतः उक्त दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरवाने की कृपा करावें।

शंकर सिंह
 हस्ताक्षर प्रार्थी / प्रार्थीगण

रिपोर्ट पटवारी / भू.अ.निरीक्षक

ऊर्धी के संलग्न इत्यादीने अनुसार शंकर सिंह पुत्र मिश्रा जाति दरोडा के स्थान पर शंकर सिंह पुत्र मिश्री सिंह जाति रावण/राजपुत्र नाम शुद्ध करने की सुझाव की जाती है।

शंकर सिंह
 16.10.25
 TLR कर्मचारी

शंकर सिंह

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार

रिपोर्ट पटवारी एवं भू.अ.निरीक्षक अनुसार उपर्युक्त दुरुस्ती किया जाना उचित हैं।

शंकर सिंह
 तहसीलदार समदड़ी

9CMS - 2025/581

आदेश

क्रमांक: ग्रा.से.शि./2025/1581/671

दिनांक:- 16.10.2025

रिपोर्ट तहसीलदार समदड़ी अनुसार ग्राम खैराडियाली की जमाबन्दी संवत् 2077 से 2080 के खाता संख्या 154 में शंकर सिंह पुत्र मिश्री सिंह जाति दरोडा के स्थान पर सम्मान जनक इन्द्राज शंकर सिंह पुत्र मिश्री सिंह जाति रावण/राजपुत्र करने की स्वीकृति प्रदान की जाती हैं। तदनुसार रिकॉर्ड में अमल-दरामद की कार्यवाही की जावे।



शंकर सिंह
 उपखण्ड अधिकारी
 सिवाना (बालोतरा)